कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

निर्णय दिनांक :- 14/6/2022

संख्या – 319/2022

प्रार्थना पत्रः–

मेसर्स मां अंजनी माईन्स एण्ड मिनरल्स प्रो0 वेदप्रकाश पुत्र नाथूलाल महर्षि निवासी महेश नगर जयपुर राज0

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

प्रार्थना–पत्र पत्थगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार **आराजी खाता संख्या 12 खसरा नं0 318 रकबा 0.93 है0, खाता संख्या 493 खसरा नम्बर 3217/319 रकबा 0.37 है0 व खाता संख्या 36 खसरा नम्बर 3216/319 रकबा 0.56 है0** वाके ग्राम बीजवाड तहसील देवली जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है व पडोसी खातेदारों से विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नही है।

अतः जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में अंकित **आराजी खाता संख्या 12 खसरा नं0 318 रकबा 0.93 है0, खाता संख्या 493 खसरा नम्बर 3217/319 रकबा 0.37 है0 व खाता संख्या 36 खसरा नम्बर 3216/319 रकबा 0.56 है0** वाके ग्राम बीजवाड की विधिवत् पत्थरगढी की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/– निर्धारित की जाकर एतत्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।

(भारत भूषण गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with CamScanner

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ______ मुकाम ______

वेदप्रकाश बनाम TDR Deals

किस्म मुकदमा 128 LR Act नं. 319 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
31/5/2022	अधिवक्ता वादी/प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. किया जाकर अभिलेख/जवाब के लिए तलबी जारी हो पत्रावली दिनांक 8/6/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी	
8/6/2022	ता.अवकाश/राज कार्य से/दौरे पर बाहर/टोंक पधारे हैं। पत्रावली दि-- 14/6/2022 --को पेश हो।	
14/6/2022	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त। अधिवक्ता प्रार्थी ने तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन कर बहस सुनाई व प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की । पत्रावली व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	

Scanned with CamScanner